न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 61/2024
अनवान : –

1. भगवान सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी चक 14 डीपीएन तहसील नोहर।
2. हनुमान सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी चक 14 डीपीएन तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** –19/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 93/93 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण संयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का पता 10 डीपीएन तहसील नोहर दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का मुल पता 14 डीपीएन है जो की प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजो में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का पता गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण मुताबिक दस्तावेजात अपना पता 10 डीपीएन के स्थान पर 14 डीपीएन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीगण का मुताबिक दस्तावेज पता दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थीगण का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल पता ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का पता 10 डीपीएन तहसील नोहर दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का मुल पता 14 डीपीएन है जो की प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजो में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का पता गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण के खातेदारी हको का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:54:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण मुताबिक दस्तावेजात अपना पता 10 डीपीएन के स्थान पर 14 डीपीएन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 93/93 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण संयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीगण का पता 10 डीपीएन दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के दस्तावेजों में 14 डीपीएन दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 93/93 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण का पता **10 डीपीएन के स्थान पर 14 डीपीएन का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के पता 10 डीपीएन के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीगण के पता 10 डीपीएन के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण पता 10 डीपीएन ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:54:01 IST
Reason: SelfAttested